कार्यालय प्रधानाचार्य,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर ।

नीलामी–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा/मशीन/फर्नीचर/स्क्रैप आदि जहॉ हैं जिस स्थिति में है। कि सार्वजनिक नीलामी संस्थान प्रांगण में दिनांक 16.05.2015 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित शर्तो के अधीन की जायेगी।

इच्छुक क्रेता उक्त तिथि से 2 दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संस्थान में स्वंय के व्यय पर पधारकर सामान देख सकते हैं तथा शर्तो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शर्ते निम्नवत हैं।

1. नीलामी की वस्तुओं की बोली लगाने से पूर्व(विडर)क्रेता को शासकीय बोली का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि संस्थान के कैशियर/भण्डारी के पास नकद जमा कराना होगा। धनराशि जमा कराने के पश्चात् ही क्रेता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।

2 .उच्चतम नीलामी बोली पूर्ण होने के पश्चात् कुल नीलामी बोली का 1/4भाग (25 प्रतिशत)धनराशि संस्थान के कैशियर के पास तत्काल जमा कराना होगा न जमा कराने की स्थिति में 10प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3. उच्चतम नीलामी बोली का 3/4भाग(75 प्रतिशत) धनराशि+बिक्रीकर नीलामी प्रक्रिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन के भीतर संस्थान में नकद जमा कराना होगा।

4. निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर 75प्रतिशत धनराशि+बिक्रीकर न जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5. नीलामी की वस्तुओं को विलम्बतम 10 दिन के भीतर संस्थान के भण्डार में स्वयं के व्यय पर उठाना होगा 10दिन के भीतर उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्डार के कक्षों का किराया वसूला जायेगा।

6. कुल नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिक्री कर अलग वसूला जायेगा।

7. समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नही किया जायेगा।

8. समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र रामपुर होगा।

दिनॉकः–08.05.2015

प्रधानाचार्य
रा0औ0प्रशि0संस्थान,
रामपुर।